किशोर होने का दावा

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया की कि **आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में**, जिसमें **दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील** दी जा सकती है

- न्यायालय ने कहा कि **किशोरवय एक अधिकार है और इसमें देरी या प्रक्रियागत तकनीकी** कारणों से छूट नहीं दी जा सकती।
- न्यायालय ने कहा कि यदि मामला किशोरवय का है तो अंतिम निर्णय भी मामले के पुनर्मूल्यांकन को नहीं रोकता।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** की **धारा 94, दोषसिद्धि के बाद** भी किशोर होने के दावे को उठाने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रियागत देरी के बावजूद किशोरों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
- इसी प्रकार, ***[illegible]*, 2012** में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही के **किसी भी स्तर पर किशोर होने के दावे को स्वीकार किया था।**
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है, जिसने **अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं** की हो।
    - **यदि 16-18 वर्ष की आयु** के किशोरों पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।

और पढ़ें: किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 से संबंधित मुद्दे

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/claim-of-juvenility